भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1668
दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय

1668. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के घरों में अभी तक शौचालय नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार के पास शौचालय और नियमित जल आपूर्ति के बिना रहने वाले ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार की इस समस्या से निपटने के लिए राज्य-वार किस प्रकार कार्य करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ) वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण-I के तहत 10.14 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया, और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया गया, जिससे सभी गांव, जिल और राज्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करने के लिए प्रेरित हुए। यह स्मरणीय उपलब्धि महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि थी, जिसमें शौचालय तक पहुंच वाले परिवारों की पहुंच अक्टूबर 2014 में 39% से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 100% हो गई थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित

करने की सलाह दी गई कि किसी भी शेष परिवार (छूटे हुए और नव निर्मित) को कार्यक्रम के तहत कवर करते हुए कोई भी परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए।

खुले में शौच से मुक्त स्थिति प्राप्त करने के बाद, एसबीएम (जी) के दूसरे चरण को अन्य बातों के साथ-साथ गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्वीकार करते हुए कि शौचालयों के निर्माण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है और यह एक बार की गतिविधि नहीं है, क्योंकि लगातार नए उभरते परिवार, प्रवासी परिवार आदि हैं जिन्हें शौचालयों की आवश्यकता होगी, नए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) (शौचालयों) का निर्माण एसबीएम (जी) निधियों पर पहला प्रभार बना हुआ है और राज्यों को लगातार सलाह दी जाती है कि वे छूटे हुए शौचालयों के लिए योजना बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर इस अंतर का निराकरण करें। पीएमएवाई (जी) कार्यक्रम के साथ समन्वय में भी, एसबीएम (जी) निधियों से घर के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन सभी उपायों के कारण ही कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष में लगभग 1.43 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-I में दी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) [एसबीएम-यू] शुरू किया था। एसबीएम-यू के अंतर्गत की गई पहलों का लक्ष्य मलिन बस्तियों सहित शहर की संपूर्ण आबादी को लाभ पहुंचाना है। एसबीएम-यू के अंतर्गत, सामुदायिक शौचालयों/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां जारी की जाती हैं। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा (सीएस) जारी किया जाता है। तत्पश्चात् राज्य नगरीय/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को उनकी कार्य योजनाओं के अनुसार निधियां जारी करते हैं। सामुदायिक शौचालयों (सीटी) को उन लाभार्थियों के लिए लक्षित किया जाता है जो प्राथमिक रूप से स्लम निवासी हैं। दूसरी ओर, सार्वजनिक शौचालयों (पीटी) को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी आबादी और आम व्यक्तियों के लिए लक्षित किया जाता है। सीटी/पीटी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 26.07.2024 तक, लगभग 11.78 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 26.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.01 करोड़ (77.71%) से अधिक परिवारों के घरों में

नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। 26.07.2024 तक नल जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में है और जेजेएम डैशबोर्ड पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx"

*****

अनुबंध 1

दिनांक **01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पिछले 4 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम (जी) के चरण-II के अंतर्गत निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2497
2	आंध्र प्रदेश	2,15,317
3	अरुणाचल प्रदेश	21,046
4	असम	6,51,044
5	बिहार	22,25,482
6	छतीसगढ़	2,19,420
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	2204
8	गोवा	1853
9	गुजरात	5,63,901
10	हरियाणा	46,702
11	हिमाचल प्रदेश	48,523
12	जम्मू एवं कश्मीर	2,11,355
13	झारखण्ड	6,09,191
14	कर्नाटक	4,07,767
15	केरल	23,167
16	लद्दाख	4021
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	8,34,910
19	महाराष्ट्र	6,47,547
20	मणिपुर	17,026
21	मेघालय	85,578
22	मिजोरम	10,993
23	नागालैंड	17,695
24	ओडिशा	6,06,345
25	पुडुचेरी	1691
26	पंजाब	1,30,960
27	राजस्थान	7,72,363
28	सिक्किम	14,375
29	तमिलनाडु	3,58,358
30	तेलंगाना	1,22,220
31	त्रिपुरा	95,273
32	उत्तर प्रदेश	39,51,528
33	उत्तराखंड	37,326
34	पश्चिम बंगाल	14,29,871
	कुल	**1,43,87,549**

अनुबंध 2

दिनांक **01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
1	आंध्र प्रदेश	21,464	17,799
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	126	609
3	अरुणाचल प्रदेश	387	89
4	असम	3,554	3,356
5	बिहार	26,439	28,677
6	चंडीगढ़	976	2,512
7	छत्तीसगढ़	17,796	18,832
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र	219	615
9	दिल्ली	11,138	28,256
10	गोवा	507	1,270
11	गुजरात	31,010	24,149
12	हरियाणा	10,393	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	876	1,700
14	जम्मू एवं कश्मीर	3,585	3,451
15	झारखंड	12,366	9,643
16	कर्नाटक	34,839	36,556
17	केरल	4,801	2,872
18	लद्दाख	194	194
19	मध्य प्रदेश	40,230	29,867
20	महाराष्ट्र	59,706	1,66,465
21	मणिपुर	620	581
22	मेघालय	362	152
23	मिजोरम	491	1,324
24	नागालैंड	478	238
25	ओडिशा	17,800	12,211
26	पुडुचेरी	1,204	836
27	पंजाब	10,924	11,522
28	राजस्थान	26,364	31,300
29	सिक्किम	142	268
30	तमिलनाडु	59,921	92,744
31	तेलंगाना	15,543	15,465
32	त्रिपुरा	586	1,089
33	उत्तर प्रदेश	63,451	70,370
34	उत्तराखंड	2,611	4,694
35	पश्चिम बंगाल	26,484	5,746
	कुल	**5,07,587**	**6,36,826**

अनुबंध 3

दिनांक **01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1668 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

जेजेएम: ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	26.07.2024 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00
2	आंध्र प्रदेश	95.45	70.12	73.47
3	अरुणाचल प्रदेश	2.29	2.29	100.00
4	असम	71.58	57.40	80.19
5	बिहार	166.89	160.36	96.08
6	छत्तीसगढ़	50.05	39.26	78.44
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.85	100.00
8	गोवा	2.64	2.64	100.00
9	गुजरात	91.18	91.18	100.00
10	हरियाणा	30.41	30.41	100.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.09	17.09	100.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	18.69	15.11	80.85
13	झारखण्ड	62.48	33.72	53.97
14	कर्नाटक	101.30	78.97	77.96
15	केरल	70.86	37.78	53.31
16	लद्दाख	0.41	0.38	93.28
17	लक्षद्वीप	0.13	0.12	89.36
18	मध्य प्रदेश	111.80	71.45	63.91
19	महाराष्ट्र	146.72	126.73	86.37
20	मणिपुर	4.52	3.59	79.59
21	मेघालय	6.51	5.21	79.97
22	मिजोरम	1.33	1.33	100.00
23	नागालैंड	3.63	3.33	91.58
24	ओडिशा	88.69	65.66	74.04
25	पुडुचेरी	1.15	1.15	100.00
26	पंजाब	34.19	34.19	100.00
27	राजस्थान	107.07	55.27	51.62
28	सिक्किम	1.33	1.19	89.01
29	तमिलनाडु	125.15	106.40	85.01
30	तेलंगाना	53.98	53.98	100.00
31	त्रिपुरा	7.50	6.15	82.03
32	उत्तर प्रदेश	265.99	224.47	84.39
33	उत्तराखंड	14.52	13.82	95.12
34	पश्चिम बंगाल	175.27	89.33	50.97
	कुल	**19,32.17**	**15,01.54**	**77.71**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*****